न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 34 / 2021 / (2021 / 34) **जिला–नागौर**

जोरा देवी पत्नी हरीराम जाति जाट निवासी रोट तहसील जायल जिला नागौर।

–––अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल तहसील जायल जिला नागौर।

––––प्रत्यर्थी

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी जायल दिनांक 22.05.2017
अन्तर्गत अपील संख्या 69 / 2017 बउनवान
राजस्थान सरकार बनाम रामपाल व अन्य

————

उपस्थित– 1. श्री हेम सिंह अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री आकाश पारीक, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः–

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम दुगोली में अवस्थित आराजी खसरा नं0 1168 रकबा 13–00–15 बीघा भूमि अपीलार्थीया के कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि है जिसमे आने जाने हेतु कभी भी कोई रास्ता अस्तित्व में नहीं रहा। उपखण्ड अधिकारी जायल ने अपने आदेश दिनांक 22.05.2017 में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.3(21)राज.6 / 2003 / पार्ट–04 दिनांक 10.08.2016 का हवाला देते हुये तहसीलदार जायल के प्रार्थना पत्र

अन्तर्गत धारा 131, 132 एवं 136 भू–राजस्व अधिनियम एवं नियम 58, 59, 60, 66, 86 भूअभिलेख नियम 1957 के तहत अपीलार्थी की खसरा नं0 1168 रकबा 13–00–15 बीघा भूमि मे से 00–07–00 बीघा तथा अन्य व्यक्तियों की आराजीयात में कदीमी रास्ता मानते हुये राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान कर दिये गये। उपखण्ड अधिकारी जायल के इस निर्णय से व्यथित होकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.05.2017 के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी जायल के निर्णय दिनांक 22.05.2017 की जानकारी अपीलार्थी को नहीं हो सकी। जानकारी होने के उपरान्त उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर अभिभाषक की राय अनुसार अपील तैयार कर अविलम्ब जानकारी दिनांक से अन्दर मियाद प्रस्तुत कर दी है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्तागण द्वारा अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील काफी विलम्ब से बिना किसी ठोस व सक्षम आधार के प्रस्तुत की गई है, इस कारण से उपरोक्त अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम के स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील को इसी वर्तमान स्तर पर ही सव्यय खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर व प्रत्यर्थी अधिवक्ता /राजकीय अधिवक्ता की इस पर जवाबी बहस पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल का निर्णय दिनांक 22.05.2017 अस्पष्ट व

कारण रहित है। अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश की सुनवाई के प्रकरण में किसी प्रकार का कोई नोटिस तामील नहीं करवाया गया तथा बिना सुनवाई कर ही निर्णय पारित कर दिया जो न्याय के सहज व प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। पटवारी हल्का की एकपक्षीय गलत रिपोर्ट को आधार मानकर विधि विरूद्ध आदेश पारित कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 21.04.2017 को प्रकरण दर्ज कर रजिस्टर कर पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुये प्रकरण में आगामी दिनांक 22.05.2017 प्रदान की। अपीलार्थी के नोटिस पर यह रिपोर्ट प्राप्त हुई कि आसामी खुद घर पर मौजूद मिली नोटिस लेने व मकान चस्पा करने से इंकार। दो मोतबरान से तस्दीक करवाकर अदम तामील श्रीमान् की सेवा में पेश है। इसके उपरान्त भी अपीलार्थी को दुबारा नोटिस तामिल करवाने की कार्यवाही नहीं की गई जबकि दो मोतबरान व्यक्ति कौन है ? और उनका पता आदि अंकित किये बगैर उपरोक्त नोटिस की फर्द पर दोनो व्यक्तियों के केवल नाम अंकित करवा कर अपीलार्थीया के मकान पर नोटिस चस्पा करवा दिये गये । पत्रावली में न्यायालय द्वारा ऐसा कोई चस्पानगी द्वारा तामिल करवाने का आदेश पारित नहीं किया गया फिर भी न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना विधिवत रूप से तामील करवाये तथा बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना 30 दिवस में अपीलाधीन आदेश पारित करने की कानूनी भूल की है।

उनका यह भी कथन है कि विवादित आराजियात पर आने जाने का कभी किसी प्रकार का कोई रास्ता अस्तित्व में नहीं रहा ओर न कभी था। रेस्पों ने भूमाफियाओं के ईशारे पर उनको नाजायज लाभ देने के कारण अपीलार्थी के विरूद्ध गलत कार्यवाही की गई। जबकि किसी व्यक्ति को कोई रास्ता चाहिये तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रावधान है। जब राजस्व नक्शे मे किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं रहा तो किसी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि नहीं होते हुये भी खातेदारी भूमि में से रास्ता दिये जाने का आदेश पारित करने की कानूनी भूल अधीनस्थ न्यायालय ने की है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर बिना सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिये जाने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। अपने कथनों के समर्थन में अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा कुछ न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये यथा :–

1- 2020 DNJ(4) Rev. Page-68
2- RRT 2020(2) -Page 979-982
3- RRD 2016- Page 699-703

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी के राजकीय अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि वादग्रसत आराजी मौके पर आवागमन के काम आ रही है तथा उक्त रास्ता आवागमन हेतु सुगम व जनसुविधा के हित में है। आवागमन में सुविधा को देखते हुये उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में रास्ते का अंकन व नक्शे में तरमीम हेतु अधीनस्थ न्यायालय से निवेदन किया गया। उक्त रास्ता ग्राम रोटू से काशीपुरा तक सुगम जनसुविधा है। राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.3(21)राज.

6/2003/पार्ट–04 दिनांक 10.08.2016 की मंशा अनुरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही की गई है जो उचित है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.05.2017 रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पारित किया गया है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व प्रकरण से संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया तथा दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया प्रकरण के रेकार्ड अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 3(21)राज.6/2003/पार्ट–04 दिनांक 10.08.2016 के द्वारा रास्ते संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु रास्ता संबंधी समस्याओं का निराकरण अभियान–2016 चलाया गया जिसमें चालू स्थायी रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन की कार्यवाही व राज्य सरकार की मंशा अनुरूप रास्ते संबंधी कोई समस्या लंबित व शेष नहीं रखी जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे। चूकि प्रकरण में अपीलार्थी के साथ साथ अन्य खातेदारों की भूमि भी रास्ते में दर्ज हुई है तथा उक्त रास्ता ग्राम रोटू से काशीपुरा तक सुगम जनसुविधा के युक्त है। लेकिन जनसुविधा के नाम पर किसी भी खातेदारी भूमि के राजस्व रेकार्ड में रास्ते का अंकन अथवा बिना खातेदार की सुनवाई व साक्ष्य का विधिसम्मत अवसर प्रदान करे बिना ही निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी के नोटिस पर यह रिपोर्ट प्राप्त हुई कि ''आसामी खुद घर पर मौजूद मिली नोटिस लेने व मकान चस्पा करने से इंकार। दो मोतबरान से तस्दीक करवाकर अदम तामील श्रीमान् की सेवा में पेश है। '' ऐसी तामीली को विधि के अनुसार सम्यक नोटिस की तामीली नहीं मानी जा सकती है। इसके उपरान्त भी अपीलार्थी को दुबारा नोटिस तामिल करवाने की कार्यवाही नहीं की गई तथा दो मोतबरान व्यक्ति कौन है ? और उनका पता आदि अंकित किये बगैर उपरोक्त नोटिस की फर्द पर दोनो व्यक्तियों के केवल नाम अंकित करवा कर अपीलार्थी के मकान पर चस्पा करवा दिये। पत्रावली में न्यायालय द्वारा ऐसा कोई चस्पानगी द्वारा तामिल करवाने का आदेश भी पारित नहीं किया गया है फिर भी न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना विधिवत रूप से तामील करवाये तथा बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.05.2017 पारित करना कतई विधिअनुरूप व न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में यह न्यायिक दृष्टांत तथ्यपरक समानता होने से चस्पा होते है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी जायल) द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.05.2017 अन्तर्गत राजस्व अपील संख्या 69/2017 बउनवान राजस्थान सरकार बनाम रामपाल व अन्य में अपीलार्थी के खसरा नं0 1168 रकबा 13–00–15 बीघा भूमि मे से 00–07–00 बीघा की हद

तक विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त किया जाता है और प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलार्थीया के खसरा खसरा नं0 1168 रकबा 13–00–15 बीघा भूमि मे से 00–07–00 बीघा के संबंध में अपीलार्थीया को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

(डॉ0 वीना प्रधान)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर